[2022] 2 एस. सी. आर 473

ए.

करन सिंह

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 327) 02 मार्च, 2022

बी.

[इंदिरा बनर्जी और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:s.302 r/ws।149;s.307 r/ws।149 और एस।148 – निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त धाराओं के तहत अपीलार्थी को अन्य अभियुक्तों के साथ दोषसिद्धि मामला यह था कि मुख्य अभियुक्त और मृतक के बीच भैंस की कीमत को लेकर विवाद था, जिसके लिए मृतक ने मुख्य अभियुक्त को अपनी फसल की कटाई करने से रोक दिया था-दुर्भाग्यपूर्ण दिन, राइफलों और बंदूकों से लैस छह आरोपी व्यक्ति घटना स्थल पर आए, जहां मृतक भैंस की कीमत लेने आया था-जब मृतक ने पैसे मांगे, तो मुख्य अभियुक्त ने अपनी राइफल से गोली चला दी और मृतक को गोली मार दी जो उसके सिर पर लग गई-इसके बाद, मुख्य अभियुक्त के सहयोगियों ने भी अपने-अपने हथियारों से गोलियां चला दीं, जिसके बाद वादी और अन्य भाग गए-एक गोली 'एम' को लगी-निचली अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।पोस्टमॉर्टम कराने वाले डॉक्टर के साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के मामले का समर्थन किया कि सभी आरोपी व्यक्तियों, जो हथियार लेकर मौजूद थे, ने गोली चलाई थी-घायल गवाह 'एम' ने विशेष रूप से अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया होगा-हालांकि, दो अन्य चश्मदीद गवाहों, यानी पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 ने पुष्टि की कि वह घटना स्थल पर मौजूद था और राइफल ले जा रहा था-पीडब्लू 3 ने अपीलकर्ता को गोली मारी थी-अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता थी, जो उसने किया-यह तथ्य कि घायल गवाहों में से एक ने अपीलकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया होगा, अन्य गवाहों के साक्ष्य को ध्वस्त नहीं करेगा-ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

473

474 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

ए.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना:**1.** अपीलार्थी की उपस्थिति दो चश्मदीद गवाहों द्वारा साबित की गई है।चश्मदीद गवाहों द्वारा यह साबित किया गया है कि अपीलार्थी के पास एक राइफल थी।लेकिन पीडब्लू**2** और पीडब्लू**3** ने बयान दिया कि सभी अभियुक्तों ने गोली चला दी थी।अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता थी, जो उसने किया है, और किसी भी संदेह से परे नहीं है।यह तथ्य कि घायल गवाहों में से एक ने अपीलार्थी के नाम का उल्लेख नहीं किया है, अन्य गवाहों के साक्ष्य को ध्वस्त नहीं करता है। **[**पैरा **46] [485-**एफ**-**एच**]**

बी.

रोहताश कुमार बनाम हरियाणा राज्य **(2013) 14** एससीसी

सी.

434 :[2013] 3 एस. सी. आर. 884; नारायण चेतनराम

चौधरी और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य

2000 एससी 3352:[2000] 3 पूरक।एससीआर 104; कुरिया और अन्र. वी.राजस्थान राज्य (2012) 10 एससीसी 433:[2012]

10 एस**.** सी**.** आर**. 570;** श्यामलाल घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

डी.

(2012) 7 एससीसी **646:[2012] 10** एस**.** सी**.** आर**. 95-**पर निर्भर।

पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य ए**.** आई**.** आर **1952** एस**.** सी**. 354:[1953]** एस**.** सी**.** आर**. 94;** हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम**.**

मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343:[1952]

एस**.** सी**.** आर**. 1091;** मृणाल दास और अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य

ई.

2011 एससी 3753:[2011] 14 एस. सी. आर. 411; नवनीतकृष्णन

v. पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य **(2018) 16** एससीसी **161:**

[2018] 6 एस**.** सी**.** आर**. 749-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[1953] एससीआर **94**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

एफ.

[1952] एससीआर **1091**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

[2011] 14 एससीआर **411**

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

[2018] 6 एससीआर **749**

संदर्भित किया गया है

पैरा **33**

[2013] 3 एससीआर **884**

उस पर भरोसा करें

पैरा **41**

जी.

[2000] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 104** पर निर्भर

पैरा **42**

[2012] 10 एससीआर **570**

उस पर भरोसा करें

पैरा **43**

उस पर भरोसा करें

पैरा **44** ए

एच.

475

करन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और हमारा ए

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 327।

1983 के आपराधिक अपील No.1813 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 30.07.2018 से।

अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, संजीव अग्रवाल, एकनाथ अग्रवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

बी.

संजय कुमार त्यागी, रोहित पांडे, जगजीत सिंह छाबड़ा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

इंदिरा बनर्जी**,** जे**.**

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा 30 जुलाई 2018 को पारित एक फैसले और आदेश के खिलाफ है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ दायर आपराधिक अपील संख्या 1813 को खारिज करते हुए, 1981 के सत्र परीक्षण संख्या 268 में 6 वें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा पारित 1 अगस्त 1983 के फैसले और दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ, अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलार्थी को भारतीय दंड भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149, धारा 307 के साथ धारा 149 और धारा 148 (जिसे इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे अन्य बातों के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

डी.

ई.

3. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को निचली अदालत ने 13 जून 1980 के एक आदेश द्वारा जमानत दे दी थी।उच्च न्यायालय ने अपील की पूरी अवधि के दौरान अपीलार्थी को जमानत भी दे दी।उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद अपीलार्थी को 9 सितंबर 2019 को हिरासत में ले लिया गया था।

एफ.

4. अभियोजन पक्ष का मामला है कि 8 अप्रैल 1980 को लगभग 12 बजेः15 पी. एम., रति पाल नामक व्यक्ति कांत पुलिस थाने में आया और शिकायत दर्ज कराई कि होली से आठ दिन पहले राजकुमार सिंह नामक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई ब्रह्मपाल सिंह से एक भैंस रुपये की कीमत पर खरीदी थी। 1, 900/-।

जी.

5. उक्त राजकुमार ने होली के आठ दिन बाद शिकायतकर्ता के बड़े भाई ब्रह्मपाल सिंह को भैंस की कीमत देने का वादा किया था।

एच.

6. हालाँकि, राजकुमार सिंह ने शिकायतकर्ता के बड़े भाई ब्रह्मपाल सिंह को वादे के अनुसार भैंस की कीमत नहीं दी।ब्रह्मपाल सिंह ने राजकुमार सिंह को अपनी फसल काटने की अनुमति नहीं दी।7. 7 अप्रैल 1980 को राजकुमार सिंह ने ब्रह्मपाल सिंह को अगले दिन यानी 8 अप्रैल 1980 को अपना पैसा लेने के लिए सिमरा खेरा आने के लिए कहा।

बी.

8. 8 अप्रैल 1980 को शिकायतकर्ता का चचेरा भाई महेंद्र सिंह शिकायतकर्ता के घर आया और ब्रह्मपाल सिंह से कहा कि वह उसके साथ सिमरा खेड़ा जाए और उसके साथ खातों का निपटान करने के बाद राजकुमार सिंह से उसके पैसे ले।इसके बाद वादी के बहनोई (श्रीपाल सिंह), वादी ब्रह्मपाल सिंह, एक ग्रामीण बादशाह सिंह और महेंद्र सिंह सिमरा खेड़ा गए।वे शेर सिंह ठाकुर के घर गए और बैठने की जगह में एक खाट पर बैठ गए।9. महेंद्र सिंह ने अपीलार्थी के साथ हाथ में राइफल लेकर आए राजकुमार सिंह, राइफल से लैस करण सिंह, सिंगल बैरल बंदूक से लैस सुखलाल, सिंगल बैरल बंदूक से लैस जगदीश सिंह, सिंगल बैरल बंदूक से लैस हर्पाल सिंह और डबल बैरल बंदूक से लैस नानकू सिंह को बुलाया।

सी.

डी.

10. लगभग 9 बजेः00 ए. एम., ब्रह्मपाल सिंह ने उनके पैसे मांगे।राजपाल सिंह ने राजकुमार सिंह से ब्रह्मपाल सिंह का ऋण जल्द से जल्द चुकाने को कहा।इस पर राजकुमार सिंह ने अपनी राइफल से गोली चला दी और ब्रह्मपाल सिंह को गोली मार दी।गोली उसके सिर में लगी।ब्रह्मपाल सिंह बेहोश हो गए।

ई.

11. इसके बाद, राजकुमार सिंह के सहयोगियों, यानी हर्पाल सिंह, करण सिंह, जगदीश सिंह, सुखपाल सिंह और नानकू सिंह ने अपने-अपने हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। राजकुमार सिंह के सहयोगियों द्वारा गोली चलाने के बाद वादी बादशाह सिंह, श्रीपाल सिंह और महेंद्र सिंह मौके से भाग गए।अभियुक्त की ओर से चलाई गई गोलियों में से एक गोली महेंद्र सिंह को लगी।वादी और अन्य चश्मदीद शेर सिंह ठाकुर के घर में घुस गए।जब वे घटना स्थल पर लौटे तो उन्होंने ब्रह्मपाल सिंह को मृत पाया।

एफ.

जी.

12. एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद, अनुसंधान अधिकारी ने मामले की अनुसंधान की और अनुसंधान पूरी होने के बाद आरोपी व्यक्तियों राजकुमार सिंह, हर्पाल सिंह, जगदीश सिंह, करण सिंह, सुखलाल सिंह और नानकू सिंह के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 148,302/149 और आई. डी. 1 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

एच.

ए.

13. पांचवें अभियोजन गवाह (पीडब्लू5) डॉ. पी. के. गुप्ता, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था, के शरीर पर गोली के कई घाव पाए गए।

14. अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों पर सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया था।अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों, प्रथम अभियोजन गवाह डॉ. आर. एन. रस्तोगी (पीडब्लू1), रति पाल सिंह (पीडब्लू2), श्रीपाल सिंह (पीडब्लू3), महेंद्र सिंह (पीडब्लू4), डॉ. पी. के. गुप्ता (पीडब्लू5) और जांच अधिकारी (आईओ) जगदीश सिंह (पीडब्लू6) से पूछताछ की।

बी.

15. 1 अगस्त 1983 के एक निर्णय और आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अभियुक्त व्यक्तियों को हत्या के लिए दोषी ठहराया और उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सी.

16. ट्रायल कोर्ट ने पाया कि चश्मदीद गवाहों की गवाही विश्वसनीय थी।ट्रायल कोर्ट ने आगे पाया कि मृतक को मारने का मकसद था और यह अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों द्वारा साबित किया गया था।सभी आरोपी मृतक को मारने के इरादे से घातक हथियारों के साथ मौके पर आए थे।सभी अभियुक्तों ने मृतक पर अपने आग्नेयास्त्रों से गोली चलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को 16 गोलियां लगी थीं।

डी.

17. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलार्थी ने अन्य दोषी व्यक्तियों के साथ 1983 की आपराधिक अपील संख्या 1813 दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने निर्णय और अपील के तहत आदेश द्वारा खारिज कर दिया है।जबकि अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी, छह में से पांच अभियुक्त व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।केवल अपीलार्थी जीवित है।

ई.

18. उच्च न्यायालय को गवाहों के साक्ष्य या चिकित्सा या नेत्र संबंधी साक्ष्य में कोई बड़ा विरोधाभास नहीं मिला, जो संतुलन को अपीलार्थी के पक्ष में झुका सके।उच्च न्यायालय ने कहा कि मामूली विसंगतियां और/या सुधार और/या अलंकरण महत्वहीन थे और अन्य गवाहों के भारी पुष्टिकारक साक्ष्य को देखते हुए इन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

एफ.

19. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि पुलिस ने सबूत के रूप में पेश की गई दो वस्तुओं को बरामद किया है।उन्होंने घायल गवाह महेंद्र सिंह के खून से सने कपड़ों को प्रदर्शनी का-13 के रूप में चिह्नित किया और घटना के कथित स्थल से बरामद खून से सने मिट्टी और सामान्य मिट्टी को प्रदर्शनी का-12 के रूप में चिह्नित किया।श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि अपराध के हथियार की कोई बरामदगी नहीं हुई।

जी.

एच.

20. साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए 11 साक्ष्य थेः (i) घायल गवाह महेंद्र सिंह को लगी चोटों की चिकित्सा रिपोर्ट, (ii) वादी द्वारा अनुसंधान अधिकारी को दी गई शिकायत, (iii) मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, (iv) मृतक के शरीर से बरामद किए गए पर्चे, (v) प्राथमिकी के आधार पर कांस्टेबल द्वारा दर्ज की गई घटना रिपोर्ट, (vi) आई. ओ. द्वारा प्रस्तुत केस डायरी, (vii) पंचनामा आदि, (viii) घटना स्थल की साइट योजना, (ix) आई. ओ. द्वारा घटनास्थल से एकत्र की गई रक्त-दाग वाली मिट्टी और सामान्य मिट्टी का नमूना, (x) घायल गवाह महेंद्र के रक्त-दाग वाले कपड़े।

बी.

सी.

21. अभियोजन पक्ष ने अभियोजन पक्ष के छह गवाहों डॉ. आर. एन. रस्तोगी (पीडब्लू1), रतीपाल सिंह (पीडब्लू2), श्रीपाल सिंह (पीडब्लू3), महेंद्र सिंह (पीडब्लू4), डॉ. पी. के. गुप्ता (पीडब्लू5) और जगदीश सिंह (जांच अधिकारी) से पूछताछ की थी।

22. श्री सिन्हा ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला था कि मुख्य आरोपी राजकुमार सिंह और मृतक ब्रह्मपाल सिंह के बीच भैंस की कीमत को लेकर विवाद था, जिसके लिए ब्रह्मपाल सिंह ने राजकुमार सिंह को अपनी फसल की कटाई करने से रोक दिया था।अपीलार्थी और मृतक के बीच कोई विवाद या शत्रुता नहीं थी।23. श्री सिन्हा ने आगे तर्क दिया कि यह आरोप लगाया गया है कि छह अभियुक्त व्यक्तियों में से राजकुमार सिंह और करण सिंह अपने साथ राइफल ले जा रहे थे, अन्य के पास एकल/दोहरी बंदूकें थीं।हालाँकि, गवाहों ने राजकुमार सिंह को छोड़कर अन्य किसी भी आरोपी को मृतक पर गोली चलाते नहीं देखा। इसलिए करण सिंह के खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

24. श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किया गया कोई भी हथियार या तो बरामद नहीं किया गया था या मुकदमे के दौरान पुलिस द्वारा पेश नहीं किया गया था।श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि मुख्य घायल गवाह महेंद्र सिंह ने गवाही दी थी कि उन्होंने घटना के समय अपीलार्थी को मौके पर नहीं देखा था।अभियोजन पक्ष ने इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया है, बल्कि उसके साक्ष्य पर भरोसा किया है।

जी.

25. श्री सिन्हा ने आगे तर्क दिया कि यह आरोप लगाया गया है कि घायल गवाह महेंद्र सिंह अपीलार्थी करण सिंह का रिश्तेदार है।यह वादी की स्वीकारोक्ति के विपरीत है जैसा कि स्वयं

एफ. आई. आर. में निहित है।श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि महेंद्र सिंह करण सिंह के रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि रति पाल और ब्रह्मपाल सिंह के करीबी रिश्तेदार हैं।

एच.

479

करन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश और हमारा राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

ए.

26. श्री सिन्हा ने आगे तर्क दिया कि घायल गवाह महेंद्र सिंह की चिकित्सा जांच और मृतक ब्रह्मपाल सिंह की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि दोनों व्यक्तियों को लगी सभी चोटें बंदूक की गोली की चोटें थीं।राइफल से कोई चोट नहीं आई है।मृतक के शरीर में बंदूक से दागे गए छर्रों थे।राइफल से चलाई गई गोलियों से कोई चोट नहीं लगी है।

बी.

27. श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने कहा था कि घटनास्थल से कोई खाली कारतुस या गोली बरामद नहीं हुई थी।घटनास्थल से कोई बिखरे हुए बंदूक के गोले बरामद नहीं किए गए।गाँव से कोई गवाह नहीं था, भले ही गाँव की आबादी 700-800 लोगों की थी।ग्रामीणों ने केवल इतना कहा था कि उन्होंने घटना के बारे में सुना था।

सी.

28. श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि

रिकॉर्ड किया गया कि "चूंकि राज कुमार ने राइफल से गोली चलाई और उनके साथी बंदूकों से लैस थे, इसलिए गवाह घबरा गए और उन्होंने कभी भी इस सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में राइफल की गोली कभी ब्रह्मपाल को लगी या नहीं।इस वास्तविकता को बताने के लिए सबसे अच्छा गवाह स्वयं मृत ब्रह्मपाल हो सकते थे कि राजकुमार द्वारा चलाई गई गोली उन्हें लगी या नहीं, या वह सिर्फ इसलिए तख्त पर गिर गए क्योंकि गोली उनके सिर के पास से चली थी।चूंकि ब्रह्मपाल मर चुका है, इसलिए इस स्थिति में इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं बचा है कि राजकुमार द्वारा चलाई गई गोली कभी ब्रह्मपाल को लगी या नहीं।इसलिए, इस स्थिति में भी जहां मृतक ब्रह्मपाल के सिर पर गोली का कोई निशान नहीं है, अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि घबराहट में कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह वास्तविकता का आकलन कर सके।"

डी.

ई.

एफ.

29. श्री सिन्हा के अनुसार, यह स्थापित करता है कि निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि केवल धारणा/अनुमान पर आधारित थी।श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों, पी. डब्ल्यू. 2, पी. डब्ल्यू. 3 और पी. डब्ल्यू. 4 ने कहा था कि जैसे ही राजकुमार सिंह ने अपनी राइफल से ब्रह्मपाल सिंह की ओर पहली गोली चलाई, वे सभी अपनी पीठ के साथ आरोपी की ओर भाग गए और उन्होंने नहीं देखा कि किसने गोली चलाई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बंदूक की गोलियों की आवाज सुनी थी।इसलिए, किसी भी गवाह ने यह बयान नहीं दिया था कि राजकुमार सिंह के अलावा कौन से आरोपी गोलीबारी में शामिल थे।

जी.

एच.

30. श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि उपरोक्त भौतिक कारक अभियोजन पक्ष की ओर से मामूली विरोधाभास और मामूली खामियां थीं और सभी अभियुक्त व्यक्तियों को संदेह से परे दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़े।श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने सबूतों की श्रृंखला को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था ताकि गलत निष्कर्ष निकाला जा सके कि आरोपी व्यक्ति, विशेष रूप से अपीलकर्ता करण सिंह दोषी थे।

बी.

31. श्री सिन्हा ने आगे तर्क दिया कि स्थापित विधि के अनुसार, आपराधिक मुकदमे में गवाह के बयान के मामले में पृथकता का सिद्धांत लागू नहीं होता है।या तो गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित करके पूरे बयान को त्यागना होगा या फिर पूरे बयान पर भरोसा करना होगा।इस संदर्भ में श्री सिन्हा ने पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य 1 का हवाला दिया।

सी.

और हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य **2.**

पलविंदर कौर (ऊपर) मामले में इस अदालत ने कहा कि एक बयान जिसमें आत्म-व्याख्यात्मक मामला शामिल है, एक स्वीकारोक्ति के बराबर नहीं हो सकता है, अगर छूट देने वाला बयान किसी तथ्य का है, जो अगर सच है, तो कथित अपराध को स्वीकार करने के लिए नकारात्मक होगा।हनुमंत (ऊपर) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:-

डी.

"...यह स्थापित विधि है कि किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति, चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, को विभाजित नहीं किया जा सकता है और इसका कुछ हिस्सा उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।प्रवेश का उपयोग या तो समग्र रूप से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं।यदि अभियुक्त के बयान का समग्र रूप से उपयोग किया जाता है, तो यह अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है और यदि इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है, तो रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे कोई निष्कर्ष निकाला जा सके कि पत्र उस तारीख को नहीं लिखा गया था जिस पर यह लिखा गया था।"

ई.

32. पलविंदर कौर (ऊपर) और हमुनंत (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय, जो स्वीकारोक्ति और/या स्वीकारोक्ति से संबंधित हैं, तथ्यों के आधार पर अलग-अलग हैं।दूसरी ओर, मृणाल दास और अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य 3 में, इस न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आपराधिक मुकदमे में, शत्रुतापूर्ण गवाहों के विश्वसनीय साक्ष्य भी दोषसिद्धि का आधार बन सकते हैं।

एफ.

33. श्री सिन्हा ने नवनीतकृष्णन बनाम राज्य का भी उल्लेख किया।

जी.

पुलिस निरीक्षक **4,** जहाँ इस न्यायालय ने फिर से पुष्टि कीः-

1 ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 354 2 ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 3 ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 3753 4 (2018) 16 एस. सी. सी. 161 ए

एच.

481

करन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश और हमारा राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

"...प्रत्येक दोषपूर्ण परिस्थिति को विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से साबित किया जाना चाहिए और इस प्रकार साबित परिस्थितियों को घटनाओं की एक श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे अभियुक्त के अपराध के बारे में एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सके और अपराध के खिलाफ कोई अन्य परिकल्पना संभव नहीं है।"

बी.

34. श्री सिन्हा ने यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।अभिलेख के चेहरे पर दिखाई देने वाले साक्ष्यों में स्पष्ट विसंगतियाँ थीं।इसलिए अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

35. दूसरी ओर, राज्य की ओर से, रिकॉर्ड पर अधिवक्ता श्री संजय कुमार त्यागी ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को निचली अदालत और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सी.

36. पोस्टमॉर्टम में मृतक के शव पर बड़ी संख्या में बंदूक की गोलियां, कई गोली के घाव पाए गए।कुछ गोलियां शरीर में घुस गईं और बाहर निकल गईं।घायल महेंद्र सिंह की डॉ. आर. एन. रस्तोगी ने चिकित्सकीय जांच की थी, जिसमें उन्हें गोली के घाव, गोली के घाव आदि मिले थे।

डी.

37. श्री त्यागी ने तर्क दिया और सही कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला तीन चश्मदीद गवाहों, रति पाल (पीडब्लू2), शिवपाल (पीडब्लू3) और महेंद्र सिंह (पीडब्लू4) के बयानों से साबित हुआ, इसके अलावा पीडब्लू1 डॉक्टर थे जिन्होंने घायल गवाहों की जांच की थी और पीडब्लू5 डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था।

ई.

38. जैसा कि श्री त्यागी ने तर्क दिया, पीडब्लू के साक्ष्य में कुछ मामूली विसंगतियां हो सकती हैं।हालाँकि, सभी भौतिक विवरणों की पुष्टि की गई है।पीडब्लू2 और पीडब्लू3 ने अभियोजन पक्ष की कहानी की कमोबेश पुष्टि की।उन दोनों ने कहा कि अपीलार्थी करण सिंह एक राइफल के साथ घटना स्थल पर था।उन्होंने कहा कि आरोपी राज कुमार सिंह ने पहले गोली चलाई, जिसके बाद अन्य सभी ने गोली चलानी शुरू कर दी।पीडब्लू2 ने कहा कि उसने वास्तव में दूसरों को गोलीबारी करते नहीं देखा, लेकिन उसने गोलीबारी की आवाज सुनी जिससे वह जानता था कि अन्य लोग गोलियां चला रहे थे।हालाँकि, पीडब्लू2 ने स्पष्ट रूप से कहा कि अन्य सभी ने गोली चला दी थी।जब अभियुक्तों ने गोली चलाई तो ये तीनों पीडब्लू भाग गए। वे शेर सिंह के घर के अंदर चले गए।कुछ मिनट बाद जब वे बाहर आए तो उन्होंने ब्रह्मपाल को मृत पाया।पी. डब्ल्यू. 4, महेंद्र सिंह, घायल गवाह ने हालांकि करण सिंह का नाम नहीं लिया है।उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया गया कि क्या उन्होंने करण सिंह को देखा था।

एफ.

जी.

एच.

39. पी. डब्ल्यू. 1, डॉ. आर. एन. रस्तोगी, जिन्होंने महेंद्र सिंह की जाँच की थी, ने कहा कि उनकी पीठ पर चोट लगी थी।यह पीडब्लू के संस्करण के साथ मेल खाता है कि उन्हें गोली लगी थी जब वे सभी भाग रहे थे।मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पी. डब्ल्यू. 5 ने कहा कि उन्हें नाक से 3 सेंटीमीटर ऊपर माथे के बीच में गोली की चोट मिली। सिर की कई हड्डियाँ टूट गई थीं।उन्होंने कई अन्य गोलियों के घावों का वर्णन किया।गोली लगने के कई घाव थे।प्रवेश करते समय गोली लगने के घावों के अलावा गोलियों के बाहर निकलने के भी घाव थे।जांघ की हड्डी टूट गई थी।आंतरिक जाँच पर, मस्तिष्क टूट गया था, दाएँ और बाएँ झिल्ली टूट गई थी, फेफड़े टूट गए थे।45 छोटे और बड़े छर्रों को बरामद किया गया।डॉक्टर ने राय दी कि मौत का कारण रक्तस्राव और चोटों के कारण सदमा था।उन्होंने कहा कि सभी चोटें मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।40. पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य का आधार अभियोजन पक्ष के गवाहों के मामले का समर्थन करता है कि सभी आरोपी व्यक्ति, जो हथियार लेकर मौजूद थे, ने गोली चलाई थी।घायल गवाह महेंद्र सिंह ने विशेष रूप से अपीलार्थी करण सिंह का नाम नहीं लिया होगा।हालांकि, दो अन्य चश्मदीद गवाहों, यानी पीडब्लू2 और पीडब्लू3 ने पुष्टि की कि वह घटना स्थल पर मौजूद था और उसके पास राइफल थी।पीडब्लू3 ने अपीलार्थी करण सिंह की आग देखी थी।

बी.

सी.

डी.

41. महेंदर सिंह, पीडब्लू-4 के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उनके सामने कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं रखा गया था कि अपीलार्थी घटना स्थल पर मौजूद था या नहीं।यह अदालत, रोहताश कुमार में

ई.

v. हरियाणा राज्य **5** आयोजितः**-**

“24. ..... अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या समग्र रूप से पढ़े गए साक्ष्य में सच्चाई का घेरा प्रतीत होता है।एक बार यह धारणा बन जाने के बाद, अदालत के लिए निस्संदेह यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की अधिक जांच करे, विशेष रूप से समग्र रूप से साक्ष्य में बताई गई कमियों, कमियों और दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए और यह पता लगाने के लिए उनका मूल्यांकन करे कि क्या यह गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य आधार के खिलाफ है और क्या साक्ष्य का पूर्व मूल्यांकन हिल गया है, ताकि इसे विश्वास के योग्य न बनाया जा सके।इस प्रकार, न्यायालय को उन चूक, विरोधाभासों और विसंगतियों

को अनुचित महत्व नहीं देना चाहिए जो मामले के केंद्र में नहीं जाते हैं, और अभियोजन पक्ष के गवाह के मूल संस्करण को हिलाते हैं।

एफ.

जी.

5 (2013) 14 एससीसी 434 ए

एच.

483

करन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश और हमारा राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

42. नारायण चेतनराम चौधरी और एक अन्य का उल्लेख करते हुए

v. महाराष्ट्र राज्य 6, श्री त्यागी ने तर्क दिया कि स्मृति में खामियों के कारण होने वाली छोटी विसंगतियां स्वीकार्य थीं, विरोधाभास नहीं थे।इस मामले में कोई विरोधाभास नहीं था, केवल मामूली विसंगतियां थीं।

43. कुरिया और अन्र में **v.**राजस्थान राज्य **7,** इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

बी.

"30. इस न्यायालय ने बार-बार यह विचार रखा है कि जो विसंगतियाँ या सुधार अभियोजन पक्ष के मामले को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं और महत्वहीन हैं, उन्हें अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।अदालतें ऐसी विसंगतियों या सुधारों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती हैं।इसका उद्देश्य मुख्य रूप से और स्पष्ट रूप से अनाज से भूसी को निकालना और गवाहों की गवाही से सच्चाई का पता लगाना है।जहाँ यह अभियोजन मामले के मूल को प्रभावित नहीं करता है, वहाँ ऐसी विसंगति को अनुचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।मानव आचरण की सामान्य प्रक्रिया यह होगी कि किसी विशेष घटना का वर्णन करते समय मामूली विसंगतियां हो सकती हैं।इस तरह की विसंगतियां कानून में भी बयानों को प्रमाणिक बना सकती हैं।सुधार या भिन्नता अनिवार्य रूप से अभियोजन मामले के भौतिक विवरणों से संबंधित होनी चाहिए।कथित सुधार और भिन्नताओं को मामले और घटना के भौतिक विवरणों के संबंध में दिखाया जाना चाहिए।इस तरह का प्रत्येक सुधार, जो प्रत्यक्ष रूप से घटना से संबंधित नहीं है, किसी गवाह की गवाही पर संदेह करने का आधार नहीं है।अभियोजन पक्ष के मामले की एक निश्चित परिस्थिति की विश्वसनीयता को ऐसे मामूली या महत्वहीन सुधारों के संदर्भ में कमजोर नहीं किया जा सकता है।इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ काठी भारत वज्जूर बनाम गुजरात राज्य 8, नारायण चेतनराम चौधरी बनाम महाराष्ट्र राज्य 9, गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य 10 और सुखचेन सिंह बनाम हरियाणा राज्य 11 में दिया जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

6 AIR 2000 SC 3352 7 (2012) 10 SCC 433 8 (2012) 5 SCC 724 9 (2000) 8 SCC 457 10 (2001) 2 SCC 205 11 (2002) 5 SCC 100

एच.

31. इसके बाद यह देखा जाना चाहिए कि क्या अदालत में प्रस्तुत किया गया संस्करण काफी हद तक अनुसंधान के दौरान कही गई बात के समान था।यह केवल तभी होता है जब अतिशयोक्ति मौलिक रूप से मामले की प्रकृति को बदल देती है, अदालत को इस बात पर विचार करना होता है कि गवाह सच बोल रहा था या नहीं।[(रेफ. सुनील कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार)] 12.

बी.

32. ये ऐसे परिवर्तन हैं जिनके कोई गंभीर परिणाम नहीं होंगे।न्यायालय को किसी व्यक्ति के सामान्य आचरण को स्वीकार करना होता है।जो गवाह 15 व्यक्तियों द्वारा बेरहमी से पीटे जाने वाले व्यक्ति की हत्या को देख रहा है, उससे शायद ही घटना के एक-एक मिनट के विवरण की उम्मीद की जा सकती है।हर कोई, और विशेष रूप से एक व्यक्ति जो मृतक को जानता है या उससे संबंधित है, पीड़ित पर हमले को रोकने के लिए कदम उठाने और फिर उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करने और पुलिस को सूचित करने के लिए हर संभव प्रयास करने पर अपना पूरा ध्यान देगा।घटना के तुरंत बाद जो बयान दर्ज किए जाते हैं, उन्हें दिए जाने वाले बयानों और अत्यंत सटीकता के साथ दर्ज किए जाने के संबंध में थोड़ी छूट दी जानी चाहिए।यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक सुधार या परिवर्तन को गवाह द्वारा आरोपी को गलत तरीके से फंसाने के प्रयास के रूप में नहीं माना जा सकता है। न्यायालय का दृष्टिकोण उचित और व्यवहार्य होना चाहिए।इस संबंध में अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य 13 और शिवलाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 14 का उल्लेख किया जा सकता है।"

सी.

डी.

ई.

44. श्यामलाल घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 15 में, यह न्यायालय

आयोजितः

एफ.

“46. फिर, यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में कुछ विसंगतियां और विरोधाभास हैं क्योंकि इन गवाहों ने अलग-अलग समय दिया है कि उन्होंने आरोपी द्वारा मृतक की हाथापाई और गला घोंटने को कब देखा था।..... निस्संदेह, इन गवाहों के बयानों में कुछ मामूली विसंगतियां या भिन्नताएं पाई जा सकती हैं।लेकिन क्या?

जी.

12 (2003) 11 एससीसी 367 13 (2010) 12 एससीसी 350 14 (2011) 9 एससीसी 561 15 (2012) 7 एससीसी 646 ए

एच.

485

करन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश और हमारा राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या ये परिवर्तन सामग्री हैं और अभियोजन पक्ष के मामले को काफी हद तक प्रभावित करते हैं।प्रत्येक परिवर्तन अभियोजन पक्ष के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

49. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अदालत को एक तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक गवाह के बयान की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए और अन्य गवाहों के बयान के साथ उक्त बयान को पढ़ना चाहिए।गवाह के किसी भी बयान को आंशिक और/या पृथक रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है।हम इन गवाहों के बयान में कोई ऐसी सामग्री या गंभीर विरोधाभास नहीं देख पा रहे हैं जिससे अभियुक्त को कोई लाभ हो।”

बी.

सी.

45. रोहतास कुमार बनाम हरियाणा राज्य **16** में**,** इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः**-**

“24. ..... अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या समग्र रूप से पढ़े गए साक्ष्य में सच्चाई का घेरा प्रतीत होता है।एक बार यह धारणा बन जाने के बाद, अदालत के लिए निस्संदेह यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की अधिक जांच करे, विशेष रूप से समग्र रूप से

साक्ष्य में बताई गई कमियों, कमियों और दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए और यह पता लगाने के लिए उनका मूल्यांकन करे कि क्या यह गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य आधार के खिलाफ है और क्या साक्ष्य का पूर्व मूल्यांकन हिल गया है, ताकि इसे विश्वास के योग्य न बनाया जा सके।इस प्रकार, न्यायालय को उन चूक, विरोधाभासों और विसंगतियों को अनुचित महत्व नहीं देना चाहिए जो मामले के केंद्र में नहीं जाते हैं, और अभियोजन पक्ष के गवाह के मूल संस्करण को हिलाते हैं।

डी.

ई.

एफ.

46. जैसा कि श्री त्यागी ने तर्क दिया, राज्य की ओर से पेश हुए पीडब्लू2 और पीडब्लू3 दोनों ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि अपीलार्थी और पीडब्लू4 महेंद्र सिंह दोनों घटना स्थल पर मौजूद थे।अपीलार्थी की उपस्थिति दो चश्मदीद गवाहों द्वारा साबित की गई है। चश्मदीद गवाहों द्वारा यह साबित किया गया है कि अपीलार्थी के पास एक राइफल थी। लेकिन पीडब्लू2 और पीडब्लू3 ने बयान दिया कि सभी अभियुक्तों ने गोली चला दी थी। अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता थी, जो उसने किया है, और किसी भी संदेह से परे नहीं है।यह तथ्य कि घायल गवाहों में से एक ने अपीलार्थी करण सिंह के नाम का उल्लेख नहीं किया है, अन्य गवाहों के साक्ष्य को ध्वस्त नहीं करता है।

जी.

16 (2013) 14 एस. सी. सी. 434

एच.

47. हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं।यह तथ्य कि मुकदमे/अपील में कई साल लग जाने चाहिए थे और अपील के दौरान अन्य अभियुक्तों की मृत्यु हो जानी चाहिए थी, अपीलार्थी को बरी करने का आधार नहीं हो सकता है।इस प्रकार याचिका खारिज कर दी जाती है।

बी.

याचिका खारिज कर दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.